न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनियां)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/44/2024 जी0सी0एम0एस0 नं0 2024/168

1. पांचू पुत्र जेठू जाति भाम्बी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. बाबूलाल पुत्र जेठू जाति भाम्बी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. रामस्वरूप पुत्र जेठू जाति भाम्बी निवासी गोवलियां तहसील भिनाय जिला अजमेर(अविवाहित नाऔलाद फोत)

(वादीगण)

बनाम

1. रामदयाल पुत्र भाला जाति गुर्जर निवासी रतनपुरा ग्राम पंचायत छछुन्दरा तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

(प्रतिवादीगण)

निर्णय अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— 1. वकील वादी श्री शिवकुमार जोशी
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 08.04.2025

वादी ने इस वाद प्रत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम गोवलियां पटवार हल्का खेड़ी, भू.अ.नि. क्षेत्र छछुन्दरा तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2076–2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 151 में दर्ज खसरा सं. 86 रकबा 0.34, खसरा सं. 88 रकबा 0.56, खसरा सं. 89 रकबा 0.08, खसरा सं. 94 रकबा 0.26 और खसरा सं. 95 रकबा 0.03 हैक्ट0 कुल किता–05 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 भूमि वादी संख्या 1 लगायत 02 की पुश्तैनी सहखातेदारी की आराजीयात है। जिसमें में सहखातेदार स्व0 श्री रामस्वरूप पुत्र जेठू अविवाहित नाऔलाद फोत हो चुके है। जिनके वादी संख्या 01 तथा 02 ही विधिक वारिसान है। उक्त भूमि पर वादीगणों के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है।

उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजीयात है। वादीगणों की वाद वर्णित उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 जो कि वादीगणों का पड़ोसी है, वादीगणों के कब्जाकाश्त में बाधा उत्पन्न कर रखा है तथा वादीगणों को कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 वाद वर्णित आराजीयात को खुर्द–बुर्द कर स्वयं का स्वामित्व एवं आधिपत्य स्थापित करना चाह रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी के खसरा संख्या 89 के सीमा पर माइन्स लीज करवाकर अवैध खनन करते हुए, वादीगणों के खसरा संख्या 89 पर कब्जा करना चाह रहा है। जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 01 को सदेव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व उनके नौकर, चाकर, हाली, सीरी तथा परिवार के सदस्यगणों इत्यादि को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी कब्जाकाश्त की आराजी पर किसी भी प्रकार से वादीगणों को उनके खातेदारी कब्जे–काश्त की आराजी से बेदखल ना करे। और ना ही वादीगणों को उनकी आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न और खुर्द–बुर्द नहीं करे।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस न्यायालय में वास्ते जवाब तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 द्वारा प्रकरण में उपस्थित होकर जवाब वाद पत्र पेश किया गया। तथा पत्रावली आदेशिका पर "मुझे कोई आपत्ति नहीं है" टिप्पणी अंकित की गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण में जवाब बाबत् समय चाहा गया। वकील वादी द्वारा इस पर निवेदन किया गया कि, वादीगणों द्वारा प्रश्नगत आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद पत्र पेश किया गया है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसीलदार भिनायं को जबाब बाबत् में कहीं अवसर प्रदान किये जा चुके है। पैरोकार सरकार एक औपचारिक पक्षकार है, जिनके जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाब सरकार बन्द किया जावे। वकील वादीगण के कथन उचित होने से पत्रावली में जवाब सरकार बन्द किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई। वकील वादी द्वारा निवेदन किया गया कि पूर्व में प्रश्नगत आराजीयात की राजस्व जमाबन्दीं पेश की जा चुकी है। वकील वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने बाबत् निवेदन किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगणों द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई। पत्रावली में बहस पक्षकार सुनी गई। सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी द्वारा वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों को दोहराते हुए, निवेदन किया गया कि वाद वर्णित आराजी में वादीगणों का हक–हिस्सा निहित है। सहखातेदार स्व0 श्री रामस्वरूप पुत्र जेठू अविवाहित नाऔलाद फोत हो चुके है। जिनके वादी संख्या 01 तथा 02 ही विधिक वारिसान है। उक्त भूमि पर वादीगणों के अतिरिक्त अन्य किसी दीगर व्यक्ति का हक हिस्सा अधिकार नहीं है। वादीगणों की वाद वर्णित उक्त आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 01 जो कि वादीगणों का पड़ोसी है, वादीगणों के कब्जाकाश्त में बाधा उत्पन्न कर रखा है तथा वादीगणों को कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी के खसरा संख्या 89 के सीमा पर माइन्स लीज करवाकर अवैध खनन करते हुए, वादीगणों के खसरा संख्या 89 पर कब्जा करना चाह रहा है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 व उनके नौकर, चाकर, हाली, सीरी तथा परिवार के सदस्यगणों इत्यादि को सदेव के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी कब्जाकाश्त की आराजी पर किसी भी प्रकार से वादीगणों को उनके कातेदारी कब्जे–काश्त की आराजी से बेदखल ना करे। और ना ही वादीगणों को उनकी आराजीयात के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न और खुर्द–बुर्द नहीं करे।

प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रतिवादी द्वारा कभी भी वादीगणों को उनकी वाद वर्णित आराजीयात से बेदखल करने की कोशिश नहीं की है। ना ही उनकी कोई ऐसी मंशा है। मौके पर वादी व प्रतिवादी दोनो ही अपने–अपने हिस्से में मेड़बंदी आदि करके काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा आगे निवेदन किया गया कि बतौर प्रतिवादी मुझे वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पर कोई एतराज नहीं है। इस बाबत् मेरे द्वारा प्रथम तारीख पेशी पर ही आदेशिका पर टिप्पणी दर्ज करवायी जा चुकी है।

मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादीगणों द्वारा प्रस्तुत राजस्व जमाबन्दी ग्राम गोवलियां पटवार हल्का खेड़ी, भू.अ.नि. क्षेत्र छछुन्दरा तहसील भिनाय संवत् 2076–2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 151 में दर्ज खसरा सं. 86 रकबा 0.34, खसरा सं. 88 रकबा 0.56, खसरा सं. 89 रकबा 0.08, खसरा सं. 94 रकबा 0.26 और खसरा सं. 95 रकबा 0.03 हैक्ट0 कुल किता–05 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत आराजी में वादीगण संख्या 01 व 02 प्रत्येक 1/3 हिस्से के रिकॉर्डेड खातेदार है।

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

वाद ग्रस्त आराजीयात के एक अन्य सहखातेदार श्री रामस्वरूप पुत्र जेठू का हिस्सा 1/3 वर्णित है। जिसके लिए वादीगणों द्वारा तर्क दिया गया है कि रामस्वरूप पुत्र जेठू हमारा भाई है जो अविवाहित नाऔलाद फोत हो चुके है। जिनके वादी संख्या 01 तथा 02 ही विधिक वारिसान है। खण्ड़न प्रतिवादीगणों द्वारा नहीं किया गया है। वकील वादी द्वारा दौराने बहस वादीगण संख्या 01 व 02 का कब्जाकाश्त बताया गया है, जिसका खण्ड़न भी प्रतिवादीगणों द्वारा अपने जवाब अथवा बहस में नहीं किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा वकील वादी के कथनों पर मनन करने पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र न्यायसंगत होना पाया गया। वादीगणों के वाद पत्र अनुसार प्रश्नगत आराजीयात में वादींगणों का हक हिस्सा निहित होने तथा कब्जाकाश्त होने के आधार पर वाद पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वाद बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 डिक्री किया जाकर ग्राम गोवलियां पटवार हल्का खेड़ी, भू.अ.नि. क्षेत्र छछुन्दरा तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2076–2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 151 में दर्ज खसरा सं. 86 रकबा 0.34, खसरा सं. 88 रकबा 0.56, खसरा सं. 89 रकबा 0.08, खसरा सं. 94 रकबा 0.26 और खसरा सं. 95 रकबा 0.03 हैक्ट0 कुल किता–05 कुल रकबा 1.27 हैक्ट0 भूमि वादीगणों की खातेदारी भूमि है एवं वादीगणों का निरंतर कब्जाकाश्त है। जिसका खण्ड़न भी प्रतिवादीगणों द्वारा अपने जवाब अथवा बहस में नहीं किया गया है। अतः वादीगणों का दावा स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किय जाता है कि वादीगणों की वाद वर्णित हक–हिस्से की आराजीयात में कब्जे काश्त, उपयोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। साथ ही वाद वर्णित आराजीयात को नष्ट–भ्रष्ट अथवा खुर्द–बुर्द नही करे। आदेशानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् स्वयं अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली फैसला शुमार हो। नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)